संख्या-336/2020/622/22-2-2020-17(102)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 अगस्त, 2020***

विषय:- जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधे जायसवाल पुत्र श्री रंगी जायसवाल, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 20.05.2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधे जायसवाल पुत्र श्री रंगी जायसवाल, घुघली बुजुर्ग, थाना-घुघली, जनपद-महराजगंज का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 02.09.2012 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर गुडिया देवी की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-18/2013 एवं 101/2013 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 506, 302 भा0द0वि व 3 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-4), महराजगंज के आदेश दिनांक 25.08.2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2020 तक 07 वर्ष 04 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 06 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधे जायसवाल (बन्दी संख्या-268/14) पुत्र श्री रंगी जायसवाल, निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-336/2020/622(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in